



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोमवार, 17 जुलाई, 2017 ई०

आषाढ़ 26, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-3

संख्या 565/XXXI(3)/2017-सु० 42/2006

देहरादून, 17 जुलाई, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-04

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली 2006 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. "उत्तरांचल" के स्थान पर "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाना

उत्तरांचल सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली 2006 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में जहाँ-जहाँ शब्द "उत्तरांचल" आया है वहाँ-वहाँ वह शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाएगा।

3. उत्तरांचल सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली 2006 के नियम 3 के उपनियम (ख) का संशोधन नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ-1

वर्तमान उप नियम

"(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुरक्षा अधिकारी के पद के सम्बन्ध में राज्यपाल से, इन्सपेक्टर के पद के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव से और सेवा में समस्त अन्य पदों के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन विभाग में अधिष्ठान के प्रभारी सरकार के संयुक्त सचिव से है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

"(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य मुख्य सुरक्षा अधिकारी एवं सुरक्षा अधिकारी के पद के सम्बन्ध में राज्यपाल से, इन्सपेक्टर के पद के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव से और सेवा में समस्त अन्य पदों के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन विभाग में अधिष्ठान के प्रभारी, सरकार के संयुक्त सचिव से है।

4. मूल नियमावली के नियम 5 के उपनियम (1) में एक खण्ड (सात) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्-

"(सात) मुख्य सुरक्षा अधिकारी-मौलिक रूप से नियुक्त सुरक्षा अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा तथा सुरक्षा संवर्ग में कुल 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।"

5. मूल नियमावली के नियम 23 के उपनियम (2) की तालिका निम्नवत् संशोधित कर दी जाएगी; अर्थात्

पद का नाम

- 1-मुख्य सुरक्षा अधिकारी
- 2-सुरक्षा अधिकारी
- 3-निरीक्षक
- 4-उपनिरीक्षक
- 5-मुख्य रक्षक
- 6-रक्षक

वेतनमान

- लेवल-11
- लेवल-10
- लेवल-08
- लेवल-07
- लेवल-04
- लेवल-03

6. मूल नियमावली के परिशिष्ट 'क' को निम्नवत् संशोधित कर दिया जायेगा, अर्थात्

कं सं०	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	कुल	
1.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	—	01	01	लेवल-11
2.	सुरक्षा अधिकारी	01	—	01	लेवल-10
3.	निरीक्षक	02	—	02	लेवल-08
4.	उपनिरीक्षक	05	01	06	लेवल-07
5.	मुख्य रक्षक	10	08	18	लेवल-04
6.	रक्षक	62	20	82	लेवल-03

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।